कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/माध्य/मा/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2019/ दिनांकः 15.03.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक।

परीक्षा आवश्यक

विषयः— बोर्ड परीक्षाओं के संग्रहण केन्द्रों द्वारा नियमित रूप से उत्तर—पुस्तिकाओं के बंडल अंकन सम्बन्धी कार्यवाही की सतत मोनिटरिंग बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर—पुस्तिकाओं के बंडल अंकन हेतु संग्रहण केन्द्रों पर भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है। नियत प्रक्रियानुसार बंडल प्राप्ति के 03 दिवस में वितरण किया जाना आवश्यक है ताकि आगे परिणाम विलम्बित नहीं हो। कार्य व्यवस्थित एवं समयबद्ध हो, इस हेतु माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 30.01.19 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

"प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)—मुख्यालय कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों के नॉडल अधिकारी रहेंगे तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)—मुख्यालय के निर्देशन में प्रतिदिन संग्रहण केन्द्र का आवश्यक रूप से निरीक्षण कर प्रतिदिन बंडलों का निस्तारण करवायेंगे। इस हेतु इन्हें वाहन/टेलीफोन व्यय रूपये 6/— प्रति बंडल तथा नियमानुसार यात्रा व्यय देय होगा जिले मुख्यालय से बाहर के अन्य संग्रहण केन्द्रों पर जाने पर नियमानुसार यात्रा व्यय बोर्ड द्वारा देय होगा।"

उक्त निर्णय के क्रियान्वयन बाबत बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र क्रमांक—माशिबो/गोप./ उ.पु.हॉल/2019/14037—14069 दिनांक 13.02.2019 द्वारा भी भेजा गया है।

अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)— माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन अपने जिले के संग्रहण केन्द्रों पर आवश्यक रूप से निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि किसी भी केन्द्र पर कोई भी बंडल तीन दिवस से अधिक रखा नहीं रहे। साथ ही प्रतिदिन विषयवार निम्न सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को secondarydd2@gmail.com तथा बोर्ड को bserconf2018@gmail.com पर रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रेषित करें। जिन परीक्षकों द्वारा समय पर बंडल प्राप्त नहीं किये जायें तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। बिना उचित कारण तथा सक्षम स्वीकृति के उत्तर—पुस्तिका जांच से मना करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध 07 दिवस में सक्षम अधिकारी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहीं प्रारम्भ कर सूचित करें। समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों द्वारा अग्रांकित प्रारूप में सूचना प्रतिदिन बोर्ड कार्यालयों के जरिये मेल भिजवाई जायेगी।

नाम संग्रहण केन्द्रः.. **कोड नं.** ....

क्र.सं.	परीक्षा	विषय	प्राप्त बंडल	वितरित	शेष

अजमेर, जयपुर, पाली, कोटा, बूंदी, भरतपुर, चित्तौडगढ, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, नागौर, भीलवाडा, अलवर, सिरोही, टोंक जिलों में कुछ उत्तर—पुस्तिकाऐं केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति से अंकन कराने हेतु बोर्ड द्वारा बंडल भेजे गये हैं, इस पर भी समयबद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
2. विशेषाधिकारी एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
5. सिस्टम एनेलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा विभाग
बीकानेर